

**बिहार सरकार**  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 30/31.12.2016 की रात्रि में केन्द्रीय कारा, बक्सर से 05 सजायाफ्ता बंदियों की पलायन की घटना में श्री संजय कुमार चौधरी, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर द्वारा बिहार कारा हस्तक-2012 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हुए गंभीर कोताही एवं अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है। साथ ही उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न करके कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई है जिसके कारण पलायन की इतनी बड़ी घटना घटित हुई और 05 सजायाफ्ता बंदी पलायन करने में सफल हुए।

2. अतः उक्त गंभीर अनियमितता के आलोक में श्री संजय कुमार चौधरी, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, मोतिहारी निर्धारित किया जाता है।

3. श्री चौधरी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर अलग से विभागीय कार्यवाही संस्थित करने की कार्रवाई की जायेगी।

4. श्री चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता संलग्न कारा से देय होगा।

5. उपरोक्त पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह0/-

(राजीव वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक- कारा/नि0को0(अधी0)-01-01/2017.....दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक- कारा/नि0को0(अधी0)-01-01/2017.....<sup>218</sup>.....दिनांक-...<sup>16-01-2017</sup>.....

प्रतिलिपि:-कारा महानिरीक्षक का गोपनीय कोषांग को सूचनार्थ/श्री संजय कुमार चौधरी, काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बक्सर/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ। अनुरोध है कि केन्द्रीय कारा, बक्सर में अधीक्षक के पद पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना प्रशाखा-01, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/अई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
16.1.17

सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)